जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-28.01.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 14.09.2024 को वादी श्री वासिल पुत्र इलियास निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली के घर में घुसकर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मारपीट तथा गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लोहे की राड सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि घटना में लिप्त अभियुक्त राशिद को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अरशद पुत्र नबाव निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.घटना में प्रयुक्त लोहे की राड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री मिर्जा मतिनुर्रहमान थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 अनुज थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढीश्याम में मारपीट, फायरिंग करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 27.01.2025 को वादी श्री अमित चौहान पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली ने नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध घर में घुसकर एक राय होकर मारपीट,जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। घटना में लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी थीं।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढीश्याम में घर में घुसकर मारपीट, फायरिंग करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सेठपाल पुत्र सोरन उर्फ सौरण ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।

2.अजीत पुत्र जगदीश निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

4.का0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकित पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम हथछौया थाना झिझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार प्रभारी चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 प्रवीण कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राजा बेनिवाल चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 जितेन्द्र कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.नफासत पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बसी चुधिहारी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.संजीव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हरसाना थाना झिंझाना जिला शामली।

3.लीलम पुत्र लख्मीचन्द निवासी ऊन थाना झिंझाना जिला शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 17,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1. वर्ष 1996 में अभियुक्त ओंकार सिंह पुत्र अफलातून 2.हरपाल पुत्र दाराचन्द 3.माहीचन्द पुत्र जहान सिंह 4.ओमवीर पुत्र सतपाल 5.सुधीर पुत्र भोपाल 6.ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्याम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 216ए/96 धारा 136(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण को 2,500-2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10-10 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2001 में अभियुक्त वाहिद पुत्र कुतुबदीन निवासी मक्काबस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 46/2001 धारा 406379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगण:-</u>

1.ओंकार सिंह पुत्र अफलातून निवासी ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।
2.हरपाल पुत्र दाराचन्द निवासी ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।
3.माहीचन्द पुत्र जहान सिंह निवासी ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।
4.ओमवीर पुत्र सतपाल निवासी ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।
5.सुधीर पुत्र भोपाल निवासी ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।
6.ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मकमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।
7.वाहिद पुत्र कुतुबदीन निवासी मक्काबस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>जिला मजिस्ट्रेट शामली, पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद मु0नगर स्थित जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।</u>

आज दिनांक 28.01.2025 को जिला मजिस्ट्रेट शामली श्री अरविन्द चौहान, पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा जनपद मुज़फ्फरनगर स्थित जिला कारागार में महिला व पुरूष जेल बैरिकों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के बैरिको में कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नही हुई। इस के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान जेल में बंद महिला/पुरूष कैदियों के लिए बने जिला कारागार के भोजनालय, चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्पताल, पुस्तकालय तथा कैदियों के रहने हेतु बने बैरकों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु जिला कारागार के अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महिला/पुरूष बंदियों को स्वस्थ रहने हेतु योग करने तथा सजा पूर्ण कर चुके बंदियों की रिहाई पर उन्हें आगामी जीवन मे अच्छे आचरण व मधूर व्यवहार रखने की सलाह दी गई। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार मुजफ्फरनगर के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>